Topic – मौलिक अधिकारों के संशोधन का मुद्दा
(The Issue of Amendment of Fundamental Rights)

Class - B.A-2 (H)
Paper - III

Prof. Khushbu Kumari
Guest Teacher, dept. of Political Science, V.S.J. College, Rajnagar, Lnmu

संसद के पास संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन यह शक्ति है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान के भाग III में दिये गये मौलिक अधिकारों पर संसद की यह शक्ति कहाँ तक लागू होती है, यह प्रश्न संवैधानिक विशेषज्ञों के ध्यान का केन्द्र रहा है।

1950 - 1967 के बीच संसद ने कई बार संविधान में संशोधन किये। लेकिन 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद के पास भाग III में संशोधन करने की शक्ति नहीं थी।

इसके बाद संसद ने 24वां और 25वां संशोधन पास किया। 24वें संशोधन के द्वारा संसद ने अपने संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति को मान्यता दी और 25वें संशोधन के द्वारा संसद ने संविधान के अनुच्छेद 31 में संशोधन किया।

1972 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढाँचे में परिवर्तन नहीं कर सकती।

सन् 1950-51 के दौरान शंकरी प्रसाद बनाम संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मुकदमों में संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को स्वीकार किया।

Note :- 42वें संविधान संशोधन, 1976 के द्वारा संसद ने सर्वोच्चता के सिद्धांत पर बल दिया।
इसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिये।
परंतु 43वें संशोधन द्वारा पहले वाली स्थिति पुनः स्थापित की गई।

44th संशोधन :- 44वां संविधान संशोधन, 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1)एफ और 31 के अधीन दिये गये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकालकर अनुच्छेद 300-ए के अधीन कानूनी अधिकार बना दिया गया।

मिनर्वा मिल्स मुकदमा, 1980 :- सर्वोच्च न्यायालय ने 9 मई, 1980 को मिनर्वा मिल्स मुकदमा के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया।
इसमें यह निर्णय

Scanned with CamScanner

दिया गया कि संसद संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती।

Khushboo Kumari
11th Aug 2020

Scanned with CamScanner